

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज <u>अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैराह</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
----------------	--	---

31.01.2023

वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई अपील में चल रही कार्यवाही के दौरान वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा दो अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 व 06.12.2022 को अपील के मेन्टेनेवल नहीं होने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आपत्ति के प्रस्तुत किए गए। वकील रैस्पोजेन्ट ने अपील के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर समुचित निर्णय किए जाने की इस्ततदुआ की गई। वकील अपीलान्ट की ओर से रैस्पोजेन्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील रैस्पोजेन्ट ने रैस्पोजेन्ट संख्या 1 व 11 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति के बारे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 एवं अन्य रैस्पोजेन्ट की ओर से दिनांक 06.12.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की गई है, जो कि गलत है तथा अदालत हाजा में मेन्टेनेवल नहीं है। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उक्त आदेश न तो अपने मूल न्यायिक निर्णय के अधिकारिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है और न ही राजस्थान भू-राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटन नियम 1963 तथा संशोधित नियम 2005 के अन्तर्गत पारित किया गया है। वरन् उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ द्वारा स्पेशल अपील (रिट) नंबर 113/1997 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 की पालना में पारित किया गया है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जिला कलक्टर भरतपुर को यह आदेश दिए थे कि विवाद चूंकि पिछले 30 वर्ष से लम्बित है। इसलिए इस विवाद के विषय में जिला कलक्टर भरतपुर 3 महीने के अन्दर जांच पूरी करे और जो निर्देश/आब्जरेवेशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 24.10.1996 में दिए गए हैं, उसके अनुसार आवश्यक आदेश पारित करें। उक्त निर्णय में यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि ऐसे आदेश से कोई पक्षकार व्यथित होता है तो वह उचित उपचार, उचित फोरम के समक्ष कानून के अनुसार जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेजात की विधिवत जांच व परीक्षण करने के बाद आदेश दिनांक 16.10.2017 पारित किया है। यद्यपि जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 16.10.2017 में उक्त नियमों का उल्लेख संदर्भ हेतु दिया गया है, परन्तु इन नियमों में भी जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील रैस्पोजेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोजेन्ट द्वारा एक याचिका नंबर 2928/1991 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई थी। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 24.10.1996 को निर्णय पारित किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 के विरुद्ध वर्तमान अपीलान्ट द्वारा कैलाश चन्द वगैराह बनाम रमेश चन्द तिवारी वगैराह के शीर्षक से स्पेशल अपील रिट नंबर 113/1997 पेश की

31.1.2023
संभागाध्यक्ष
भरतपुर जिला, राजस्थान

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज
अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैराह

31.01.2023

गई थी। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 11.02.2009 को निर्णय पारित किया गया था। जिसमें जिला पुनर्वास अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी, भू प्रबंध आयुक्त व राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर जिला कलक्टर भरतपुर को प्रकरण की नए सिरे से जांच व परीक्षण करने के बाद निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा एक स्पेशल लीव दू अपील (सिविल नंबर 20306/2009 कैलाश चन्द वगैराह बनाम रमेश चन्द वगैराह) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी थी। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2011 को खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 एवं खण्डपीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 यथावत रहे जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। इन आदेशों की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जांच की गई है। और जांच करने के बाद दिनांक 16.10.2017 को एक प्रशासनिक निर्णय पारित किया गया, जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत पारित नहीं किया गया है। इसलिए अदालत हाजा में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील मेन्टनेबल नहीं है और न ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के अनुसार अदालत हाजा उचित फोरम ही है, क्योंकि जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत पारित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को यह आदेश या निर्देश भी नहीं दिए गए कि वे किसी विशेष एक्ट के प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकारों की हैसियत से जांच करें या किसी विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के तहत जांच या परीक्षण करें। जिला कलक्टर भरतपुर ने अपनी प्रशासनिक पदीय हैसियत में कलक्टर को निर्देशित शक्तियों के अलावा अन्य किसी विशेष (विशिष्ट) पदीय हैसियत में न तो जांच की है और न ही कोई आदेश किसी विशेष कानून के तहत पारित किया है। उक्त प्रकरण में रैस्पोजेन्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर को प्रार्थना पत्र संख्या 65/2009 प्रस्तुत किया गया था। जो कि भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वर्तमान अपीलान्ट के पक्ष में विवादित आराजी सम्बन्धित कोई पट्टा कलक्टर भरतपुर द्वारा जांच में होना नहीं पाया गया है तो उसके लिए उचित फोरम में जाना चाहिए। इसके लिए अदालत हाजा उचित फोरम नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में कलक्टर भरतपुर द्वारा विनिर्दिष्ट निर्णय पारित किया गया है। इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित किए गए निर्णय की अपील सुनवाई का किसी भी अधिनियम में प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही खारिज की जावे। वकील रैस्पोजेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 16.10.2017 में इन नियमों का हवाला केवल संदर्भ हेतु ही दिया गया है। इन नियमों के संदर्भ को इस अर्थ में सन्निमित्त नहीं किया जा सकता है कि रैस्पोजेन्ट ने मूल रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा जिला कलक्टर ने उसका निर्णय में उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। जिला कलक्टर के आदेश के पेज नंबर 1 के मद नंबर 2 में की गई टिप्पणी से ही स्व प्रमाणित है कि जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.09 की अनुपालना में किया गया है। जिला कलक्टर का आदेश

45
31.1.2023

श्री
हुक्म

3

नारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 137 / 2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31-01-2023	<p>दिनांक 16.10.2017 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 (1) जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 208 के प्रभाव से लागू करने योग्य है के प्रावधान के अनुसार उक्त आदेश अपील योग्य नहीं है। अपीलान्त की ओर अदालत हाजा में अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है। इस धारा के प्रावधान अपील करने का अधिकार प्रदत्त नहीं करते हैं। वरन् उक्त प्रावधान राजस्व अधिकारियों के पदानुक्रम को विनिर्दिष्ट करते हैं। जिनके समक्ष इनमें कथित विवादों के विषयानुसार अपील की जा सकती है। विवादित मामले का कोई भी पक्ष सम्वन्धित कानून जिसके अन्तर्गत विवादित विषय आता है तथा अपील करने का अधिकार प्रदत्त करता है, के प्रावधान की अनुपलब्धता एवं अनुपस्थिति में किसी भी निर्णय, आदेश तथा डिक्ती के विरुद्ध केवल विषयानुक्रम के आधार पर कानूनी रूप से अपील दायर करने के लिए अधिकृत नहीं है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.10.2017 किसी भी कानूनी प्रक्रिया अनुसार पारित नहीं किया गया है। वरन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रश्नगत भूमि के आवंटन की वैधता को तथ्यों की जांच करके सुनिश्चित किया गया है। जिला कलक्टर ने अपनी जांच में यह पाया कि स्वर्गीय रमेश चन्द तिवारी जिनका रैस्पोडेन्ट नंबर 1 से 8 द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, के पक्ष में दिनांक 15.05.79 को किया गया, प्रश्नगत भूमि का आवंटन विधिमान्य माना गया। उक्त अपील किसी भी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार की अनुपस्थिति में अदालत हाजा के समक्ष मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त अपील इसलिए भी अदालत हाजा में नहीं की जा सकती है, कि जिला कलक्टर द्वारा किसी आदेश या डिक्ती जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 222 के अपवादित प्रावधानों अन्तर्गत पारित किया गया हो, के विरुद्ध दायर नहीं की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में की गई जांच का निष्कर्ष है, के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्रदत्त करता हो। किसी भी विवाद के निवारण के लिए अपील करने का अधिकार मूल दावा करने के अधिकार से भिन्न है। अपील करने का अधिकार किसी भी विवाद से प्राकृतिक तथा अन्तर्निहित रूप से संलग्नबद्ध नहीं किया जा सकता। जब तक कि किसी भी कानून या नियम जो कि कानून की शक्ति रखता हो तथा विधायिका द्वारा सृजित किया गया हो द्वारा प्रदत्त नहीं किया जावे। अपील करने का अधिकार कानून के द्वारा सृजित होता है तथा कानून से इतर स्थापित नहीं हो सकता है तथा विवेका तात्पर्य स्वरूप अनुमानित तर्कानुसार ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ऐसा कोई आदेश जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 77 (1)(सी)के प्रावधानों के प्रभाव से स्पष्टतः अंतिम घोषित हो गया हो, के विरुद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती है। क्योंकि जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.10.17 उनके आदेश दिनांक 15.05.79 के अनुरूप पारित किया गया है। उक्त प्रकरण लगभग 43 वर्षों से न्यायिक पदानुक्रमानुसार विभिन्न न्यायिक गलियारों से निर्णित होते हुए वर्ष 1979 से 2017 तक विचरित होते हुए अन्तिमता की श्रेणी में पहुंचा है। अपीलान्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई स्पेशल लीव पिटिशन को भी खारिज कर दिया गया था। जिला कल0 भरतपुर द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.09 में दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन करते हुए जांच की है तथा अन्ततोगत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्वर्गीय रमेश चन्द तिवारी के पक्ष में दिनांक 15.05.79 को किया गया भूमि आवंटन वैध है।</p>	

31-1-2023

तारीख
हुल्म

हुल्म या कार्यवाही न्य इनिवर्सिटी जज
अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैरह

31.01.2023

इस प्रकार जिला कलक्टर का आदेश राजस्थान भू राजस्व अपिनेयम की धारा 77 (1)(सी) के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय है जिसकी अपील नहीं हो सकती है। अपीलान्त द्वारा अदालत हाजा में इस आधार पर अपील पेश की गई है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश से व्यक्ति होने पर उचित फोरम में जाने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए उक्त अपील पेश की गई है। जबकि अदालत हाजा इसके लिए उचित फोरम नहीं है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने व्यक्ति पक्ष को केवल अरिस्टेन्ट कलक्टर के आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया है न कि जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध घुंकि जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश अपने निर्णित करने के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मूल दावे या याचिका के आधार पर पारित नहीं किया है। वरन् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ से कनिष्ठ किसी भी न्यायालय या फोरम को उक्त मामले की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके लिए खण्डपीठ से उच्च पीठ या सर्वोच्च न्यायालय ही उचित फोरम है। जहां पर व्यक्ति पक्ष अपने पक्ष में उपचार प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। वकील रैस्पोंडेंट ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला कलक्टर भरतपुर को प्रकरण की जांच 3 माह में करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु इस जांच में भी 9 वर्ष का समय लगाया गया है। इसी प्रकार न्याय का एक स्थापित सिद्धान्त constructive resjudicata जो कि न्याय साम्य एवं शुद्ध अन्तकरण पर आधारित है, के अनुसार यदि एक पक्ष न्यायोचित तरीके से किसी विवाद में सफल होता है तो उसे उसी विवाद के मुद्दे पर बाहुल्य कानूनी कार्यवाहियों द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता है। उक्त विवाद का विषय पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक पहुंच चुका है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय को यथावत रखा है। इसके अलावा 3 माह में किए जाने वाले निर्णय में 9 वर्ष का समय जिला कलक्टर के स्तर पर लगाया गया है अब इसे और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मूल आवंटन आदेश दिनांक 15.05.79 जिसको जांच के बाद वैध ठहराया गया है को 43 वर्ष हो गए हैं, इस आदेश से यदि अपीलान्त अभी भी व्यक्ति है तो अपीलान्त को यह निर्देश दिए जावें कि वह खण्डपीठ से किसी बरिष्ठ उचित न्यायिक फोरम में याचिका दायर करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 11.02.2009 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को जांच करने के आदेश दिये गये थे न कि उक्त मामले की सुनवाई मूल वाद या याचिका की तरह न्यायिक कार्यवाही द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। न्यायिक कार्यवाही द्वारा सुनवाई करना कानून रूप से संभव नहीं है क्योंकि मूल वाद या याचिका पहले से ही प्रकरण सन् 1979 का होने के कारण लिमिटेशन कानून के तहत कालांतरित हो चुका है। मूल विवाद के कारण सन् 1979 में ही उत्पन्न हुआ था तथा इसके परचात किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी विलंब को कंडोन नहीं किया गया है। अतः उक्त कानूनी बिन्दु के आधार पर भी अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

वकील रैस्पोंडेंट ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के आधार पर mere finding है तथा mere finding के आधार पर पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं हो सकती है। इस तरह का सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1974 SC पंज

31.1.2023

धुल्म

31.01.2023

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिगशियल्स जज अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैरह	नम्बर व तारीख अटकम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुव
31-01-2023	<p>1126 व 1129 पर उद्धित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार अन्तिम रूप से पारित निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करना <i>resjudicata</i> की श्रेणी में आता है। इस तर्क के समर्थन में 2011 DNJ (SC) PAGE 930 पर उद्धित निर्णय का हवाला दिया। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर भी अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं है। वकील रैस्पोजेन्ट ने 2011(1)DNJ(SC)PAGE 279,AIR 1942 Madras PAGE 73, AIR 1975 Punjab and Harayana पृष्ठ 29 पर उद्धित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि <i>resjudicata</i> के सिद्धान्त के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही य आदेश अपील योग्य नहीं होने पर भी अपील प्रस्तुत किए जाने को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माने जाने के साथ-साथ अनावश्यक रूप से वादकरण को बढ़ावा दिया जाना माना गया है। इसलिए उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य भी है। वकील रैस्पोजेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि वृकि रैस्पोजेन्ट के पक्ष में वर्ष 1979 में विवादित भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे जिला कलक्टर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के क्रम में की गई जांच के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2017 के द्वारा रैस्पोजेन्ट के पक्ष में कोई आवंटन को वैध माना है। इस कारण जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 16.10.2017 अन्तिम आदेश हो गया है, को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील नहीं किये जा सकने के संबंध में AIR(29)1942 Bombay page 279 पर उद्धित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया तथा उल्लेख किया कि उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति में वर्णित आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट अदालत हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज की जाये।</p> <p>वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से आधारहीन तथ्यों पर प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इन प्रार्थना पत्रों की बहस में भी वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा बहस में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर अधिक बल दिया है तथा बहस के दौरान जो विभिन्न नजीरें प्रस्तुत की गई हैं उन नजीरों में वर्णित तथ्य उक्त प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इनमें प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर चरपा नहीं होते हैं। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि वकील रैस्पोजेन्ट ने प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र व बहस में जिला कलक्टर के निर्णय को प्रशासनिक आदेश मानकर अपील योग्य नहीं होने के कारण अपील खारिज करने की प्रार्थना की गई है। वकील रैस्पोजेन्ट का यह तर्क गलत है क्योंकि उक्त प्रकरण में दो व्यक्तियों के बीच कृषि भूमि के आवंटन का तथ्य तय होना है, जिसका प्रशासनिक आदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राजस्थान भूराजस्व (निष्कांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत मामले की सुनवाई कर रैस्पोजेन्ट के हक में हुए आवंटन को सही माना है। उक्त आदेश जनकल्याण के हित में किए गए, उद्देश्य या किसी विशेष कार्य के लिए किया गया स्वप्नेरणा का आदेश नहीं है वरन भूराजस्व अधिनियम</p>	

31.1.2023
 संसाधन आयुक्त
 भरतपुर जिला, राजस्थान

तारीख
हुमना

31.01.2023

के तहत बनाये गए 1963 के नियमों के तहत पारित किया गया है इसलिए उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील अदालत हाजा में फेटेनेबल है। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोंड की ओर से प्रकरण में देशी करने के उद्देश्य से अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। द्वितीय प्रार्थना पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलान्त की ओर से आपत्ति किये जाने पर अदालत हाजा के आदेश पर हिन्दी रूपान्तरित कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में रैस्पोंड की ओर से यह आपत्ति की गई है कि जिला कलक्टर ने अपीलाधीन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जांच करने के पश्चात दिया है। उनके द्वारा किसी कानूनी प्रावधानों के तहत सुनवाई कर आदेश नहीं दिए जाने के कारण अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील योग्य नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं है। इस प्रकार यह भी तर्क दिया गया है कि जिला कलक्टर के आदेश में 1963 के नियमों का हवाला दिया गया है। परन्तु उक्त आदेश उक्त नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर ने अपीलाधीन आदेश रैस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में विधिवत सुनवाई करने के बाद पारित किया है जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में भी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह भी राजस्थान न्यायालयों में इन्हीं नियमों के तहत चली कार्यवाही में पारित निर्णयों को निरस्त करने के बाद दिया गया है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त नियमों के तहत किए गए कीमतन आवंटन का परीक्षण किया गया है। आवंटन के सम्बन्ध में भूमि की कीमत व सनद भी इन्हीं नियमों के तहत जारी की जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले को शुरुआत से पुनः देखने हेतु जिला कलक्टर भरतपुर को निर्णय दिनांक 11.02.2009 के द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था तथा जिला कलक्टर द्वारा भी इन्हीं नियमों के तहत परीक्षण कर निर्णय किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्णय में कानून/नियम लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि जिला कलक्टर किन नियमों के तहत कार्यवाही करें, क्योंकि पूर्व में जिन नियमों के तहत आवंटन की कार्यवाही की गई थी उन्हीं के तहत परीक्षण कर जिला कलक्टर को निर्णय देना था। अतः रैस्पोंडेन्ट का यह कथन की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मात्र जांच का आदेश देने को कहा है किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आता है पूर्ण रूप से गलत है। रैस्पोंड की ओर से प्रकरण में बार-बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इसे लम्बा किया जा रहा है। इसलिए रैस्पोंड की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि वकील रैस्पोंडेन्ट की ओर से बहस में जो भी नजीरें पेश की गई हैं उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं, क्योंकि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2017 प्रशासनिक आदेश नहीं होकर रैस्पोंडेन्ट के पक्ष में निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटन नियम 1963 के प्रावधानों के तहत रैस्पोंडेन्ट को किए गए तथाकथित आवंटन के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 में ही यह उल्लेख किया गया है कि जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध व्यथित पक्षकार उचित फोरम में जा सकते हैं, चूंकि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के

31.1.2023
न्यायालय में प्रस्तुत
आदेश दिनांक 16.10.2017

नारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज
अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैराह

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

31-01-2023

विरुद्ध अपील अदालत हाजा में पोषणीय है इसलिए उक्त आदेश के विरुद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। उक्त प्रकरण में resjudicata के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अपीलान्त द्वारा पूर्व में निर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में अपील पेश नहीं कर जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम बार अपील पेश की गई है। अतः वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत resjudicata के सिद्धान्त से सम्बन्धित नजीरों उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसी प्रकार एक ही प्रकरण में अलग-अलग अपील/वाद विचाराधीन होने पर वाद की बहुलता मानी जाती है, जबकि उक्त प्रकरण में अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील के अलावा अन्य कोई वाद या अपील किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जहां तक जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से आदेश पारित करने में 9 वर्ष का समय लगने व प्रकरण 43 वर्ष पुराना होने के आधार पर अपील मेन्टनेबल नहीं होने का प्रश्न है तो उक्त तर्क भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त समय निर्धारित प्रक्रिया की पालना करने में लगा है तथा इस आधार पर अपील को मेन्टनेबल नहीं होने का कारण नहीं माना जा सकता है इसके अलावा उक्त प्रकरण में नगर परिषद का पक्ष भी सुना जाना था, परन्तु जिला कलक्टर द्वारा नगर परिषद का कोई पक्ष नहीं सुना गया। इस प्रकार जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए नहीं दिया गया है। इसके अलावा जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 राजस्थान भू-राजस्व (निष्कांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत पारित किया गया है तथा उक्त आदेश राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 सहपठित धारा 101 व 102 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 34 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, इसलिए उक्त नियमों के तहत पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील भी राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में पोषणीय है इसलिए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण खारिज किया जावे तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान भू-राजस्व (निष्कांत कृषि भूमि स्थायीआवंटन) नियम 1963 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। अपीलान्त द्वारा जो अपील अदालत हाजा में पेश की गई है वह राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है जबकि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश उक्त नियमों के अन्तर्गत पारित नहीं किया गया है। इसके अलावा सी.पी.सी के आदेश 11 के तहत भी उक्त अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। अतः

अपील अपीलान्त प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर खारिज की जावे।
रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर रैस्पोडेन्टस व अपीलान्त के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से दो अलग-अलग प्रार्थना पत्र अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर खारिज किए जाने के प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रार्थना पत्रों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल अपील नंबर 113/1997 पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा परीक्षण व

31.1.2023
संयोजित आदेश
रजस्थान, भरतपुर

गरीब
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज
अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वगैराह

क्या व लकिन
यहकाम जो इस
हुकम की लकिन
ह जारी हु

31-01-2023

24.10.1996 व खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 की पालना में पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 11.02.2009 में यह भी उल्लेख किया है कि यदि कोई भी पक्षकार जिला कलक्टर के आदेश से व्यथित हैं तो सम्बन्धित पक्षकार नियमानुसार उचित फोरम में जा सकेगा। वकील अपीलान्त यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में जारी आदेश की अपील अदालत हाजा में किस आधार पर पोषणीय है। जहां तक राजस्थान भू राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन नियम 1963 के तहत जारी किए गए आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील पेश किये जा सकने का प्रश्न है तो उक्त नियमों में यह कहीं भी प्रावधान नहीं है कि जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश की अपील अदालत हाजा में की जा सकेगी। उक्त नियमों के नियम 6(7) में यह प्रावधान है कि यदि आवंटन/विनियमतीकरण कपट या दुर्यप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया गया हो या यह नियमों के विरुद्ध किया गया हो तो जिला कलक्टर को परगना अधिकारी द्वारा किये गए आवंटन/विनियमतीकरण को या तो एक प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति प्राप्त होगी, इसके परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर (प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला) कोई भी ऐसा आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। परन्तु 1963 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिला कलक्टर की ओर से जारी इस तरह का आदेश अपील योग्य है तथा ऐसे आदेश के विरुद्ध अदालत हाजा में की जा सकेगी। इस आधार पर अपीलान्त की ओर से भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है। इसी प्रकार वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर AIR 1974 SC page 1126 व 1129 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त की किन्ही नियमों के तहत पारित किए गए आदेश/डिक्री के विरुद्ध अपील तभी की जा सकेगी जबकि सी.पी.सी के आदेश 43 नियम 1 के तहत अपील प्रावधित हो। जांच के आधार पर दिए गए निष्कर्ष के विरुद्ध अपील मेन्टनेबल नहीं है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 व खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 में दिए गए निर्देशों की पालना में प्रकरण का परीक्षण व जांच करने के बाद mere finding दी गई है। इसलिए उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील योग्य नहीं है। इसी तरह वकील रैस्पोजेन्ट की ओर से बहस में वर्णित अन्य नजीर यथा 2011 DNJ (SC) page 279, 2011 DNJ (SC) page 930 जो कि सी.पी.सी की धारा 11 में वर्णित प्रावधान resjudicata से सम्बन्धित है, में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु हमारी विनम्र राय में इस बिन्दु को अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करते वक्त देखा जाना उचित होगा। वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा बहस में वर्णित अन्य नजीर यथा AIR 1942 Madras page 73, AIR 1975 Punjab and Harayana पृष्ठ 29 व AIR 1942 Bombay page 279 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पालना में जांच और परीक्षण करने के बाद पारित किया गया है। यदि अपीलान्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित

31.01.2023
मैजिस्ट्रेट आमुक्त
भरतपुर मंत्रालय, राजस्थान

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिवर्सिटीज जज
अपील संख्या 137/2020 अनिल अग्रवाल बनाम सुरेश चन्द वर्मा

31-01-2023

आदेश दिनांक 16.10.2017 से व्यथित है तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 में दिए गए इन निर्देशों कि यदि जिला कलक्टर के आदेश से कोई पक्षकार व्यथित महसूस करता है तो उचित उपचार हेतु उचित फोरम में जा सकेगा। इससे स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की ओर से पारित निर्णय की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उचित फोरम में जाना चाहिए, जो कि वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों व बहस में वर्णित नज़ीरों के आधार पर न्यायालय हाजा नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 व 06.12.2022 स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई अपील को निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये बिना उक्त अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में मेन्टेनेवल नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 में दिए गए निर्देशों के तहत जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरुद्ध समुचित उपचार हेतु उचित फोरम में जाने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय लिखया जाकर आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.2023
(सौवर मल्ल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
संभागीय अतिरिक्त
भरतपुर उक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर